



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरत्न कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking-Minirata Co.)

CIN: U74899DL1963G-01003913

केन्द्रीय राज्य फार्म / Central State Farm

10 किमी० सिरसा रोड, हिसार / 10 KM. Sirsa Road Hisar-125001

मुख्यालय: बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-12 / BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI-12



पत्रांक: के.रा.फा./हिसार/6-70/कृषि/2024-25

दिनांक 05-11-2024

ई-निविदा सूचना

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, केंद्रीय राज्य फार्म, हिसार (हरियाणा) 815.00 कुंटल जलाऊ लकड़ी की बिक्री हेतु दिनांक 27-11-2024 को दोपहर 03:00 बजे तक ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक योग्य क्रेता/समूह/फर्म आदि ई-निविदा में भाग लेने हेतु आमंत्रित है। उक्त ई-निविदा की विस्तृत जानकारी निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com तथा ई-पोर्टल <https://indiaseeds.enivida.com> पर देखी जा सकती है, जिस पर ई-निविदादाता का पंजीकरण होने अनिवार्य है। उक्त निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना/शुद्धिपत्र को केवल निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com तथा ई-पोर्टल <https://indiaseeds.enivida.com> पर ही डाला जायेगा।

प्रबंधक (उत्पादन)
कृते फार्म प्रमुख



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरत्न कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking-Minirata Co.)

CIN: U74899DL1963G-01003913

केन्द्रीय राज्य फार्म / Central State Farm

10 किमी० सिरसा रोड, हिसार / 10 KM. Sirsa Road Hisar-125001

मुख्यालय: बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-12 / BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI-12



पत्रांक: के.रा.फा./हिसार/6-70/कृषि/2024-25

दिनांक 05-11-2024

Tender Notice

Particulars	Details
Date of issue of NIT	06.11.2024
Date and time for submission of online bid	From 06.11.2024 03.00 PM To 27.11.2024 03.00 PM
Date and time of opening of Technical/Financial bid in online mode	27.11.2024 on 3:30 PM
Tender Fee (to be deposited online/RTGS/NEFT)	Rs. 590.00 (Rs. 500+18% GST)
EMD Fee (to be deposited online/RTGS/NEFT)	Rs. 20000.00 per lot.
Address for communication	Farm Head, National Seeds Corporation Limited, Central State Farm, Hisar (Hr.)
Contact Person (with Phone No. & Email)	Incharge (Prodn.) 9996037296 Email : csf.hisar@indiaseeds.com csfhisar.prod@gmail.com

प्रबंधक (उत्पादन)

कृते फार्म प्रमुख

INSTRUCTIONS TO BIDDER – ONLINE MODE

1. Bidders/Vendors/Suppliers/Contractors must get themselves registered on the portal for participating in the e-tenders published on <https://indiaseeds.enivida.com> by paying the charges of Rs. 2360/- (Inclusive taxes) per year.
2. Bidders must provide the details of PAN number; registration details etc as applicable and submit the related documents. The user id will be activated only after submission of complete details. The activation process will take minimum 24 working hour's enividahelpdesk@gmail.com
3. Bidders must have a valid email id and mobile number.
4. Bidders are required to obtain Class 3 Digital Certificates (Signing & Encryption) as per their company details.
5. Once bidder DSC is mapped with the user id, the same DSC must not be used for another user id on the same portal. However bidder can update the digital certificate to another user id after unmapping it from the exiting user id.
6. Bidders now can login with the activated user Id & DSC for online tender submission process in this portal.
7. Bidders can upload required documents for the tender well in advance under My Documents and these documents can be attached to the tender during tender participation as per the tender requirements. This will save the bid submission duration/time period and reduce upload time of bid documents.
8. Bidders must go through the downloaded tender documents and prepare and upload bid documents as per the requirements of the department.
9. Once the bidders have selected the tenders they are interested in, Bidders will pay the processing fee Rs 550/- per tender (NOT REFUNDABLE) by net-banking / Debit / Credit card then Bidder may download the Bid documents etc. Once Bidders will pay both fee tenders status will be shown “form received”. This would enable the e- tender Portal to intimate the bidders through e-mail in case there is any corrigendum issued to the tenderdocument.

10. Bidders are advised to read complete BoQ/SoQ/Price Bid/Financial Bid and Terms & Conditions before quoting rates in the bid document.
11. Any modification/replacement in BoQ/SoQ/Price Bid/Financial bid template is not allowed. Bidders must quote only in predefined fields in the bid sheet and save the bidsheet. After saving, the same bid sheet must be uploaded in the portal.
12. Bidders must pay required payments (Tenderfee, EMD, Tender Processing Fee etc) as mentioned in the tender document, before submitting the bid.
13. Bidders are recommended to use PDF files for uploading the documents. Only price bid sheet will be in Excel format.
14. The bidders must ensure to get themselves registered on the portal at least 1 week before the tender submission date and get trained on the online tender submission process. For tender submission and registration process bidders are advised to refer respective manuals on website. Tender inviting Authority/Department will not be held responsible for any sort of delay or the difficulties faced during the submission of bids online by the bidders due to local issues like internet connectivity/PC speed/etc...
15. Offline Submission of bids/documents/rates by the bidders will not be accepted by the department, under any circumstance.
16. After final submission of the bid, a confirmation message and bid submission acknowledgement will be generated by the portal. The bid submission acknowledgement contains details of all documents submitted along with bid summary, token number, date & time of submission of the bid and other relevant details. Bidder can keep print of the bid submission acknowledgement.
17. If bidder is resubmitting the bid, bidder must confirm existence of all the required documents, financial bid and again submit the bid. Once submitted, the bid will be updated.
18. Submission of the bid means that the bid is saved online; but system does not confirm correctness of the bid. Correctness of the bid will be decided by tender inviting authority only.

19. The time displayed in the server is IST(GMT 5:30) and same will be considered for all the tendering activities. Bidders must consider the server time for submission of bids.

20. Bid documents being entered by the Bidders/Vendors/Contractors will be encrypted at the client end and the software uses PKI encryption techniques to ensure security/secretcy of the data. The submitted bid documents/data become readable only after tender opening by the authorized individual.

Thank You

Technical Support - Phone: 9355030617, 8448288980
Tel: 011-49606060
Email ID - enividahelpdesk@gmail.com, enivida2021@gmail.com



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरल कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Minirama Co.)

CIN: U74899DL1963G-OI003913

केन्द्रीय राज्य फार्म / Central State Farm

10 किमी0 सिरसा रोड, हिसार / 10 KM. Sirsa Road Hisar-125001

मुख्यालय: बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-12 / BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI-12



पत्रांक: के.रा.फा./हिसार/6-70/कृषि/2024-25

दिनांक 05-11-2024

Check list for Technical Requirement of Tender

<u>Particulars</u>	<u>Details</u>
Name of the E-Tenderer	
Father name of the E-Tenderer	
Full address of the E-Tenderer	
Mobile number of the E-Tenderer	
Copy of Pan Card	
Copy of ID Proof i.e. Aadhar Card/Driving License etc.	
Copy of Firm Letter Head	
Copy of Bank Passbook/Cheque Book	
Signed copy of term & condition.	



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरल कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Minirama Co.)

CIN: U74899DL1963G-OI003913

केन्द्रीय राज्य फार्म / Central State Farm

10 किमी0 सिरसा रोड, हिसार / 10 KM. Sirsa Road Hisar-125001

मुख्यालय: बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-12 / BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI-12



पत्रांक: के.रा.फा./हिसार/6-70/कृषि/2024-25

दिनांक 05-11-2024

फार्म में विभिन्न प्रजातियों के एकत्रित जलाऊ लकड़ी बेचने के लिए ई-निविदा-सह-नीलामी हेतु नियम व शर्तें

1. राष्ट्रीय बीज निगम के केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार के अधिकार में एकत्रित जलाऊ लकड़ी के विक्रय हेतु ई-निविदा/नीलामी सूचना. दिनांक 05-11-2024 के अनुसार निश्चित संख्या लाट में एकत्रित अनुमानित जलाऊ लकड़ी वजन लाट को विक्रय किया जाना निश्चित किया गया है ।
2. विक्रय किए जाने वाले एकत्रित जलाऊ लकड़ी की बिक्री ई-निविदा या नीलामी अथवा ई-निविदा सह नीलामी द्वारा "जैसा है जहाँ है" के आधार पर की जाएगी । इसके प्रयोजनार्थ जलाऊ लकड़ी की बिक्री के नियम एवं शर्तें ई-निविदादाता ने भलीभांति जान-समझ ली हैं तथा उसे स्वीकार हैं ।
3. ई-निविदा में भाग लेने से पूर्व ई-निविदाता द्वारा एकत्रित जलाऊ लकड़ी की गुणवत्ता संख्या तथा स्थान आदि को भौतिक रूप से भली भांति जांच परख लिया गया है । एकत्रित जलाऊ लकड़ी की बिक्री के पश्चात इस संबंध में क्रेता को किसी भी प्रकार की षिकायत या विवाद का अधिकार नहीं होगा ।
4. विक्रय किये जाने वाले स्वतः गिरे सूखे अथवा मृत पेड़ों की एकत्रित जलाऊ लकड़ी के लॉट हेतु दी गयी मात्रा घट व बढ़ सकती है।
5. टैंडर में भाग लेने से पूर्व क्रेता की पहचान तथा अन्य जानकारी के प्रयोजनार्थ कम से कम दो पहचान पत्र, जैसे चुनाव आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसैंस, खेत का खसरा-खतोनी तथा पैन कार्ड इत्यादि प्रस्तुत करना होगा । यदि ठेकेदार कोई सांझीदारी फर्म है तो उक्त दस्तावेज सांझेदारों से संबंधित हो । यदि ठेकेदार कोई पंजीकृत कम्पनी है तो उसे टैंडरी में भाग लेने हेतु कम्पनी द्वारा जारी अधिकार पत्र, कम्पनी का पजीकरण प्रमाण-पत्र, वित्तीय स्थिति व निदेशक मण्डल के सदस्यगण की सूची तथा उक्त वर्णित में से कोई दो पहचान पत्रों को प्रस्तुत करना होगा । ई-निविदादाता द्वारा अपने पहचान-पत्र, पैनकार्ड एवं अन्य दस्तावेजों की छाया प्रति स्वयं सत्यापित कर ई-निविदा के साथ संलग्न जमा करनी होगी। किसी भी प्रकार के अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण पते के कारण अथवा डाक विभाग द्वारा हुई देरी/त्रुटि से यदि कोई पत्र/सूचना ई-निविदादाता के पास उचित समय में नहीं पहुँचती है तो फार्म किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा ।
6. फार्म प्राधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि बिना पूर्व सूचना या नोटिस दिये ई-निविदा को अस्वीकृत अथवा निरस्त कर दें । इस विषय में फार्म प्राधिकारी किसी प्रकार से कारण सूचित करने को बाध्य नहीं होगा ।
7. कोई भी व्यक्ति/संस्था जिसे राष्ट्रीय बीज निगम के किसी भी कार्यालय/फार्म द्वारा ब्लैक लिस्ट किया गया हो, जिस पर निगम की बकाया धनराशि देनदारी हो, जिसे न्यायालय द्वारा अपराधी या शासन द्वारा अयोग्य घोषित किया गया हो, अवयस्क हो या किसी भी प्रकार से ई-निविदा के कार्य के अयोग्य हो, ऐसा व्यक्ति अथवा संस्था ई-निविदा में किसी भी स्तर पर ठेका निरस्त कर दे ऐसी स्थिति में जमा धरोहर राशि व प्रतिभूति राशि स्वतः जब्त हो जाएगी तथा शर्त संख्या 38 के अनुसार भी जमा धनराशि समायोजित की जाएगी ।
8. प्रत्येक ई-निविदादाता को टैंडर में भाग लेने से पहले सम्मिलित होने के लिए फार्म द्वारा निश्चित की गई धरोहर राशि (ईएमडी) निश्चित प्रपत्र में व ठेके की शर्तों की स्वीकृति के साथ पूरे हस्ताक्षर सहित, डिमांड ड्राफ्ट/बैंक ट्रांसफर द्वारा जो राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, हिसार के नाम देय हो/एकाउंट न0 33957537351 बैंक स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा हिसार. आईएफसी कोड SBIN0005700 में RTGS/NEFT/online के माध्यम से जमा करनी

होगी । एकत्रित जलाऊ लकड़ी की बिक्रीयदि लाट के हिसाब से अलग-अलग की जाती हैं तो प्रत्येक लाट की बोली हेतु निम्नलिखित धरोहर राशि अलग-अलग जमा करनी होगी ।

a. प्रत्येक लाट हेतु धरोहर राशि: रू0 20,000/-

9. धरोहर राशि के लिए चैक या लिफाफे में रखी गई नकद राशि मान्य नहीं होगी । साथ ही यदि धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट/बैंक ट्रांसफर निश्चित राशि से कम जमा कराया जाता है तो उस ई-निविदा को निरस्त किया जा सकता है । असफल ई-निविदादाता को धरोहर राशि उसी दिन चैक द्वारा अथवा बैंक ट्रांसफर के माध्यम से अदा कर दी जायेगी ।
10. ई-निविदादाता को ई-निविदा जमा करने के पश्चात उसे वापिस लेने या दरों में संशोधन करने का अधिकार नहीं होगा ।
11. ई-निविदादाता द्वारा दी गई सप्लर ई-निविदा मान्य नहीं होगी । ई-निविदा खोलने के बाद किसी प्रकार का ई-निविदा एवं फैंक्स व पत्र/ईमेल/अनुशंशा/अवांछित दबाव मान्य नहीं होगा ।
12. सफल ई-निविदादाता को ई-निविदा राशि का 10% की दर से प्रतिभूति राशि भी 03 दिवस में जमा करनी होगी ।
13. सफल ई-निविदादाता को ई-निविदा समाप्त होते ही स्वीकृत राशि की 25% धनराशि उसी समय अथवा अधिनियम 03 दिवस के अंदर जमा करना होगा तथा शेष 75% राशि विक्रय स्वीकृति पत्र जारी होने के 10 दिवस के अंदर जमा करनी होगी । बकाया राशि/राशियों को जमा करने में विलम्ब होने पर अधिकतम 15 अतिरिक्त दिवस के अंदर 18% वार्षिक की दर से ब्याज सहित पूर्ण राशि जमा करनी होगी ।
14. प्रतिभूति तथा प्रारम्भिक 25% राशि जमा करने हेतु समान्यतः कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा । यदि शेष 75% संपूर्ण देय राशि अतिरिक्त 15 दिवस बढ़ाई गई समय सीमा के अन्दर ही जमा नहीं की जाती है तो उस दशा में क्रेता द्वारा जमा की गई राशि में से धरोहर एवं प्रतिभूति राशि फार्म द्वारा जब्त कर ली जाएगी तथा शेष धन राशि बिना ब्याज क्रेता को अदा की जाएगी । इस स्थिति में ठेका स्वतः रद्द हो जाएगा जिसके लिए क्रेता को किसी प्रकार की सूचना या नोटिस देय नहीं होगा । इस स्थिति में संबंधित एकत्रित जलाऊ लकड़ी के संबंधित लाट/लाटों को दोबारा विक्रय करने का फार्म को पूर्ण अधिकार होगा ।
15. क्रेता द्वारा सम्पूर्ण राशि फार्म को अदा करने पर ही फार्म प्राधिकारी द्वारा एकत्रित जलाऊ लकड़ी की ढुलाई का स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा ।
16. एकत्रित लकड़ी की ढुलाई हेतु स्वीकृति आदेश जारी होने के दिन से 60 दिवस समय सीमा के भीतर एकत्रित जलाऊ लकड़ी फार्म से ले जाना होगा। ज्यों ही एकत्रित जलाऊ लकड़ी के उठाने का अधिकृत समय समाप्त हो जाता है, खरीददार का एकत्रित जलाऊ लकड़ी पर कोई अधिकार नहीं रहेगा । एकत्रित जलाऊ लकड़ी की कटाई अथवा ढुलाई में अनावश्यक देरी की अनुमति फार्म प्रशासन द्वारा सामान्यतः नहीं दी जायेगी । तथापि क्रेता द्वारा उचित कारण पर अनुरोध करने पर 60 दिवस के उपरान्त निम्नलिखित दर से भूमि कर (Ground Rent) चुका कर शेष पेड़/लकड़ी काटने-उठाने हेतु अतिरिक्त समय सीमा फार्म प्राधिकारी द्वारा दी जा सकती है:
 - I. प्रथम अतिरिक्त 30 दिवस रू0 2/- प्रति कुंतल प्रति दिवस लकड़ी उठाने-लेजाने हेतु
 - II. द्वितीय अतिरिक्त 30 दिवस रू0 5/- प्रति कुंतल प्रति दिवस लकड़ी उठाने-लेजाने हेतु

(जंगली झाड़ियों जैसे जुलिपलौरा के विक्रय हेतु झाड़ियों का प्रकार, सघनता, फौलाव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए फार्म समिति समय सीमा का निर्धारण निर्णय ले)
17. यदि क्रेता प्राधिकृत समय सीमा तथा अतिरिक्त प्रावधानिक समय सीमा के बाद भी विक्रय किये गये सभी लकड़ी लाट को किसी भी कारण से नहीं ले जाता है तो उस दशा में शर्त संख्या 38 के अनुसार क्रेता द्वारा जमा धन राशि को फार्म द्वारा जब्त कर लिए जाने का पूर्ण अधिकार होगा ।
18. क्रेता को विक्रय किए गए एकत्रित जलाऊ लकड़ी लॉट को एक ओर से काटना/उठाना होगा तथा चुन कर/छांट कर काटने-उठाने का अधिकार क्रेता को नहीं होगा ।
19. क्रेता पूर्ण जानकारी के बाद ही मात्र खरीदे गये लॉट के एकत्रित जलाऊ लकड़ी की उठाई करेगा। यदि जानबूझ कर या अनजाने में कोई अन्य पेड़ काट लिया जाता है या कोई अन्य लकड़ी ले जाने का प्रयास किया जाता है तो ऐसी दशा में फार्म प्राधिकारी द्वारा नियत पेड़ की पूरी कीमत के साथ जुर्माना भी अदा करना होगा जो कि

पेड़/लकड़ी की कीमत से दो गुना होगा । यदि क्रेता या उसके कार्यकर्ता बार-बार ऐसा करते हैं तो फार्म को पूर्ण अधिकार होगा कि पूर्ण कीमत और जुर्माना वसूल कर ठेका निरस्त कर दें तथा शर्त संख्या 30 एवं 38 के अनुसार भी कार्यवाही की जा सकती है ।

20. यदि फार्म द्वारा निकट के खेतों में खड़ी फसलों को वृक्षों के पातन-कटाई से होने वाली हानि, जलभराव की स्थिति अथवा किसी अन्य कारण से फार्म के हित को ध्यान में रखते हुए यदि वृक्षों के पातन-कटाई का कार्य रोका जाता है तो क्रेता को कार्य रोके जाने वाली समय अवधि के बराबर अधिकृत समय बिना भूमि कर वसूल किये दिया जायेगा ।
21. यदि किसी प्रशासनिक बाध्यता/शासकीय आदेश/न्यायालय आदेश के अनुसार ठेका स्थगित या निरस्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति में विक्रय में से शेष बचे वृक्षों/लकड़ी के एवज में फार्म द्वारा आकलित कीमत क्रेता को बिना ब्याज वापस की जा सकती है ।
22. ठेका समाप्त होने पर संबंधित अधिकारी की संस्तुति पर कि क्रेता अथवा उसके कार्यकर्ता के कार्य कलापों से फार्म को किसी प्रकार की परोक्ष-अपरोक्ष हानि नहीं हुई है तथा कार्य शर्तों के अनुरूप पूरा किया गया है, सफल ई-निविदाता द्वारा जमा की गई धरोहर राशि एवं प्रतिभूति राशि बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी। ठेके की अवधि के दौरान ठेकेदार अथवा उसके कामगारों द्वारा फार्म की किसी भी चल/अचल सम्पत्ति तथा फसलों को नुकसान किया तो उसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी तथा फार्म प्राधिकारी को उसका ठेका रद्द करने का भी अधिकार होगा ।
23. सफल ई-निविदाता द्वारा ठेका किसी अन्य ठेकेदार को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा । इसकी अवहेलना करने पर ठेका रद्द कर दिया जायेगा तथा जमा की गई धरोहर राशि एवं प्रतिभूति राशि को जब्त करने के साथ शर्त संख्या 30 एवं 38 के अनुसार कार्यवाही का फार्म को पूर्ण अधिकार होगा ।
24. विक्रय किये गये एकत्रित जलाऊ लकड़ी को उठाने-लेजाने हेतु ठेकेदार द्वारा जो आदमी लगाये जायें उनकी सूची पते सहित फार्म प्राधिकारी को देनी होगी। फार्म प्राधिकारी को अधिकार होगा कि बिना कारण सूचित किये किसी भी अवांछित व्यक्ति का फार्म में प्रवेश वर्जित कर दें तथा उक्त व्यक्ति के विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही करे।
25. खड़े वृक्षों की बिक्री पूरे लॉट/वृक्ष संख्या के अनुसार तथा जलाऊ लकड़ी की बिक्री लॉट में वजन/तौल के आधार पर होगी ।
26. लकड़ी काटने, ट्रांसिट परमिट की व्यवस्था तथा लकड़ी दुलाई के लिए परिवहन आदि का प्रबंध ठेकेदार को स्वयं अपने खर्च पर करना होगा ।
27. ठेकेदार को राज्य एवं केंद्र सरकार के वन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करनी होगी तथा ई-निविदा दाता शासन संबंधित वन अधिनियम तथा समय-समय पर संशोधित नियमों के अंतर्गत बनायी सभी धाराओं व नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ेगा । यदि संबंधित राज्य सरकार द्वारा घोषित अधिनियम/नियम के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई अनुमति/औपचारिकता आवश्यक होती है तो ठेकेदार उक्त सौदे के सम्बन्ध में अपने खर्च पर उक्त अनुमति प्राप्त करेगा । उल्लंघन की दशा में ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा ।

ठेकेदार/क्रेता निगम के पक्ष में एक क्षतिपूर्ति बॉन्ड इंडमनिटी बॉन्ड इस आशय के साथ देगा कि उसके द्वारा केंद्र अथवा राज्य सरकार के द्वारा जारी किसी भी अधिसूचना, नियम अथवा वन सम्बन्धी कानून की पूर्ण रूप से पालना की जाएगी तथा किसी भी प्रकार से उल्लंघन हेतु वह पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा तथा उसके द्वारा नियम एवं कानून की किसी प्रकार के उन देखी या उल्लंघन की दशा में निगम किसी भी प्रकार से जवाबदेह नहीं होगा एवं यदि किसी भी प्रकरण में ठेकेदार के कृत्य हेतु राष्ट्रीय बीज निगम को किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा जवाबदेह बनाया जाता है तो उस दशा में सभी प्रकार की क्षतिपूर्ति के साथ न्यायालय एवं अन्य सम्बंधित खर्च ठेकेदार को वहन करने होंगे ।
28. यदि कोई व्यक्ति खरीददार की जानकारी के बिना नीलाम वृक्ष/लकड़ी काटते हुए पाया गया तो खरीददार उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर सकता है । यदि व्यक्ति फार्म का कर्मचारी अथवा अधिकारी हो तो इसकी सूचना फार्म के निदेशक को विभागीय कार्यवाही हेतु देगा ।
29. एकत्रित जलाऊ लकड़ी की ई-निविदा बिक्री "जैसा है जहाँ है" आधार पर की जाएगी। बिक्री किए गये एकत्रित जलाऊ लकड़ी को किसी भी कारण से हुए नुकसान के लिए बोली के बाद फार्म जिम्मेदार नहीं होगा । नीलामी स्वीकृति के बाद यदि किसी कारणवश जैसे पेड़ों का उखाड़ना, सूखना, आग लगना, आंधी-तूफान, बिजली, बीमारी,

दीमक-कीड़ों, चोरी आदि (प्राकृतिक/अप्राकृतिक) से कोई हानि ठेकेदार को होती है तो फार्म उसका जिम्मेदार नहीं होगा। बोलीदाता ही स्वयं उक्त हानि को वहन करेगा।

30. ठेकेदार या उसके कार्यकर्ता द्वारा फार्म में अन्यत्र असम्बंधित गतिविधियां, कार्यकलापों में रुकावट/व्यवधान/हस्तक्षेप, आग जलना, मवेशी पालन, कोई निर्माण कार्य या फार्म के संसाधन का अनाधिकृत प्रयोग आदि समस्त कार्य जो भी उसके ठेके से सम्बंधित न हो उनमें परोक्ष या अपरोक्ष रूप से संलिप्त होने का अधिकार नहीं होगा। ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने अथवा फार्म की संपत्ति को कोई हानि होती है अथवा फार्म के कर्मचारियों/अधिकारियों से विवाद होता है तो इस के लिए परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से ठेकेदार जिम्मेदार होगा। इस दशा में की गई हानि का आर्थिक अथवा वैधानिक/न्यायिक हर्जाना/कार्यवाही ठेकेदार पर बाध्यकारी होगी। किसी भी प्रकार की हानि की कीमत फार्म निदेशक द्वारा तय की जायेगी जिसका भुगतान ठेकेदार/खरीददार द्वारा फार्म को करना होगा। उसका ठेका निरस्त कर उसका फार्म में प्रवेश निषिद्ध किया जा सकता है तथा इस दशा में उसकी जमा राशियां जब्त कर ली जायेगी।
31. यदि ठेकेदार का आचरण उचित न हो या फार्म के हित में न हो तथा उसे बार-बार चेतावनी देने पर भी वह ठेके की शर्तों का पालन न करता हो तब ऐसी दशा में फार्म प्राधिकारी को अधिकार होगा कि ठेके को शर्त सं0 38 के अनुसार निरस्त/रद्द कर ठेकेदार को निश्चित अवधि के लिए ब्लैक लिस्ट कर निगम के फार्मों/क्षेत्रीय कार्यालयों पर ठेके लेने के अयोग्य घोषित कर दे। विवाद, झगड़ा मतभेद के मामले में फार्म प्राधिकारी/सक्षम अधिकारी का निर्णय क्रेता/ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।
32. ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि द्वारा फार्म में किसी प्रकार का शिकार या जंगली जानवरों को मारने, घायल करने या परेषान करने का कार्य निषिद्ध है। ऐसा करने पर वे स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा कानून के अनुसार दण्ड के भागी होंगे।
33. ठेकेदार को यह अधिकार नहीं होगा कि वह किसी भी कृषि कार्य/कार्यों पर आपत्ति करे साथ ही उसे यह भी अधिकार नहीं होगा कि वह इन कार्यों को निर्धारित समय से पूर्व अथवा बाद में करने के लिए फार्म पर अवांछित दबाव डालने या बाध्य करने की कोशिश करें।
34. इस अनुबन्ध के अंतर्गत वएकत्रित जलाऊ लकड़ी के विक्रय से संबंधित सभी प्रकार के शासकीय एवं संवैधानिक परोक्ष अपरोक्ष कर, चूंगी, नगरपालिका, मंडी, वन विभाग, पारगमन परमिट (TP) तथा अन्य किसी भी प्रकार के अैक्स, सेस, शुल्क, प्रभार आदि का भुगतान क्रेता/ठेकेदार को ई-निविदा-नीलामी राशि के अतिरिक्त स्वयं वहन करना होगा।
35. नीलामी के उपरान्त ठेकेदार/खरीददार वृक्षों की सुरक्षा कटाई, पैकिंग, ढुलाई आदि समस्त कार्य अपने जोखिम व खर्चे पर करेगा।
36. पारगमन परमिट क्रेता द्वारा स्वयं ही अपने खर्च पर प्राप्त करना होगा।
37. पेड़ों के पातान-कटाई से सड़क अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए एवं वाहनों - मशीनों का आवागमन प्रभावित नहीं होना चाहिए। पेड़ों के पातान, कटाई अथवा सड़क रास्ते लकड़ी ले जाने पर फसल में नुकसान नहीं होना चाहिए।
38. इस ई-निविदा सौदे के अंतर्गत नियत किसी भी नियम एवं शर्त की खरीददार उसके प्रतिनिधि एवं शर्त की खरीददार उसके प्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता द्वारा परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से अवहेलना करने पर फार्म प्राधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि वह ठेका तत्काल प्रभाव से रद्द/समाप्त कर दे तथा काटे गए वृक्षों/उटाई-ढुलाई की गई लकड़ी की फार्म प्राधिकारी द्वारा निश्चित की गई धन राशि, प्राविधानिक भूमिकर तथा ठेके के अंतर्गत क्रेता द्वारा फार्म में जमा की गई धरोहर एवं प्रतिभूति राशि जब्त कर ले।
39. एकत्रित जलाऊ लकड़ी को फार्म से बाहर ले जाने के लिए दिवस समय सीमा का निर्धारण फार्म प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत होगा। साधारणतः यह अनुमति कार्य दिवस में प्रात 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक होगी। कटे वृक्ष/लकड़ी फार्म से बाहर ले जाने के लिए गेट पास आवश्यक होगा।
40. ठेकेदार फार्म अधिकारियों को कोई प्रलोभन, तोहफे आदि देने की कोशिश नहीं करेगा साथ ही किसी प्रकार की धमकी, डराने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। इस मामले में उसका ठेका रद्द किया जा सकता है साथ ही उसकी धरोहर राशि एवं प्रतिभूति राशि जब्त करने का फार्म को पूर्ण अधिकार होगा साथ ही उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।

41. इस सौदे के लिए रू0 100/- (एक सौ) के स्टाम्प पेपर पर ठेकेदार द्वारा ठेके के अंतर्गत विक्रय किए गए पेड़ों/लकड़ी का विवरण तथा सौदे के नियम व शर्तों पर करार (**Agreement**) तथा रू. 100/- (एक सौ) के स्टाम्प पेपर पर शर्त संख्या 27 के अनुसार क्षतिपूर्ति बॉन्ड (**Indemnity Bond**) पर दो गवाहों की उपस्थिति में फार्म के साथ अनुबंध करना आवश्यक होगा । स्टाम्प पेपर का प्रबंध ठेकेदार को स्वयं करना होगा । उपरोक्त दोनों अनुबंध ठेका स्वीकृत होने के 07 कार्यदिवस के अन्दर करने होंगे ।
42. यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एन.एस.सी. और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा का माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है तो समय-समय पर संसोधित किये गये मध्यस्था और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करने के लिए पार्टियों को बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत दोनों पक्षों की सहमती से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष सह-प्रबंध निदेशक इस मुद्दे को हल करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में जाने से पहले पक्ष मध्यस्था के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्था नई-दिल्ली और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार नई-दिल्ली की अदालत होगा। (In case any dispute arises between NSC and the other party due to any term or matter, both the parties will opt to resolve it through mutual understanding and discussion. In case, dispute remains even after discussion. Then it shall be binding upon parties to resolve issue under the provisions of Arbitration & Conciliation Act, 1996 as amended from time to time under this provision, the chairman-cum-Managing Director, National Seeds Corporation Limited with the concurrence of both the parties shall appoint sole Arbitrator to resolve the issue and both the parties will have to abide by decision. The parties will bind to resolve this dispute through arbitration before going to Court of law. The arbitration shall be conducted at New Delhi and shall in English Language. The Court of Delhi shall have the jurisdiction.)

घोशणा:— मैंने फार्म में एकत्रित जलाऊ लकड़ी खरीदने हेतु ई-निविदा की शर्तें पढ़ ली हैं । उक्त सभी शर्तें मुझे मान्य हैं तथा हस्ताक्षर मैंने अपनी रजामंदी से, बिना किसी दबाव के पूर्ण होषो-हवाश में किये हैं। मेरे द्वारा सभी शर्तें स्वीकार की गई हैं तथा ये नियम तथा शर्तें राष्ट्रीय बीज निगम के केंद्रीय राज्य फार्म हिसार के साथ मेरे द्वारा किये गये अनुबंध का अभिन्न अंग/भाग मानी जायेगी ।

ई-निविदा/बोली दाता के हस्ताक्षर
दिनांक
स्थान



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिस्ट्रल कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Ministry of Agriculture)

CIN: U74899DL1963G-OI003913

केन्द्रीय राज्य फार्म / Central State Farm

10 किमी० सिरसा रोड, हिसार / 10 KM. Sirsa Road Hisar-125001

मुख्यालय: बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-12 / BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI-12



पत्रांक: के.रा.फा./हिसार/6-70/कृषि/2024-25

दिनांक 05-11-2024

वित्तीय बिड (Financial Bid)

ई-निविदा राशि प्रस्ताव (टेंडर ऑफर)

राष्ट्रीय बीज निगम के फार्म कार्यालय हिसार (हरियाणा) के अधिकार में विभिन्न लॉट में एकत्रित जलाऊ लकड़ी को खरीदने हेतु लॉट के अनुसार ई-निविदा मूल्य प्रस्ताव निम्न विवरण अनुसार प्रस्तुत है:

<u>Lot No.</u>	<u>Kind of Wood</u>	<u>Expected Quantity of Wood (Otls.)</u>	<u>Offered rates per quintal inclusive of all taxes (Rs.)</u>
(1)	Firewood with roots	815.00	

सत्यापन एवं घोषणा:

यह सत्यापित किया जाता है कि:-

- ई-निविदा में भाग लेने से पूर्व ई-निविदादाता ने एकत्रित लकड़ी की संख्या/मात्रा, गुणवत्ता तथा स्थान आदि को भौतिक रूप से भली-भांति जांच परख लिया गया है तथा विवरण हस्ताक्षर कर सलंगन किया गया है।
- ई-निविदा के अंतर्गत एकत्रित लकड़ी/वृक्षों के विक्रय से संबंधित सभी प्रकार के शासकीय एवं सर्वेधानिक परोक्ष/अपरोक्ष कर, चुंगी, नगरपालिका, मंडी, वन विभाग, पारगमन परमिट (T.P.) तथा अन्य किसी प्रकार के टेक्स सेस, शुल्क, प्रभार आदि का भुगतान क्रेता/ई-निविदादाता राशि के अतिरिक्त स्वयं वहन करना होगा।
- यह प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्त ई-निविदा की सभी शर्तें पढ़ एवं समझ ली हैं। मुझे/हमें सभी शर्तें मान्य हैं।
- ई-निविदा पूर्ण रूप से स्पष्ट शब्दों/अंको में भरी होने चाहिए, प्रत्येक त्रुटी सुधार पर पुरे हस्ताक्षर होने अनिवार्य है। अपठनीय, अस्पष्ट अथवा अपूर्ण ई-निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- ई-निविदा, सलंगन प्रपत्रों तथा विक्रय शर्तों की प्रतिलिपि के प्रत्येक पृष्ठ पर पूर्ण सहमती के साथ हस्ताक्षर सलंगन किया गया है।

ई-निविदादाता के हस्ताक्षर
(नाम)
पूर्ण पता